# न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 15 / 28 / 2024 | 30.05.2024 | 31.07.2024 |

1–औमप्रकाश पुत्र सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–रामरति पुत्री स्व0 जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी ग्राम सिहाली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

2–सौभग्यवती उर्फ पुत्री स्व0 जयनारायण पत्नि वीर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा हाल निवासी रालियावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

3–कौशल उर्फ कोयली पुत्री स्व0 जयनारायण पत्नि राजेन्द्र यादव जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा हाल निवासी रालियावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

4–उप–पंजियक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

5–तहसीलदार नीमराना।

6–कृष्ण कुमार पुत्र प्रभाती लाल जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

7–राजकुमार पुत्र स्व0 प्रहलाद जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

8–फूलाबाई पुत्री स्व0 प्रहलाद पत्नि बनवारी लाल जाति अहीर निवासी कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड हाल निवासी ग्राम खेडा (खानपुर) तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

9–रामकला पुत्री स्व0 प्रहलाद हाल पत्नि धर्मवीर यादव जाति अहीर निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

10–सुमेर सिंह पुत्र स्व0 जुगलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

11–उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

उपस्थितः—

01. श्री भानुप्रकाश अग्रवाल —वकील प्रार्थी

02. श्री दिनेश यादव —वकील अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 6

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली ओमप्रकाश बनाम रामरती को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज इश्तकरारहक हुक्मइम्तनाई दवामी आराजी खसरा न0 1270/0.55, 1273/0.44,1705/0.44, 198/0.67, 460/0.24, 470/0.12, 828/0.88, 993/0.52, 1073/0.06, 1074/0.03, 1173/0.27,1176/0.19,1301/0.47 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड एंव आराजी खसरा न0 263/0.48, 274/0.48 वाके ग्राम तरवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड का राजस्व वाद वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी नेक नियति से अपने राजस्व वाद में पैरवी करता आ रहा है, तथा दिनाक 25.01.2024 को प्रार्थी अपने वाद में पैरवी हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में गया तो वहा पर पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कृष्ण कुमार व एक व्यक्ति और बैठा थे। मै अपनी तारीख पेशी के इंतजार में न्यायालय के बाहर बैठा हुआ था। कुछ समय बाद कृष्ण कुमार जो उक्त राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 5 है, व कुछ समय बाद उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकल कर प्रार्थी को धमकी देते हुये कहा कि चार दिवस की तारीख पैशी लगेगी और चार दिवस के पश्चात जारी स्थगन आदेश खारिज हो जायेगा। मैने न्याय पर विश्वास करते हुये यह समझते हुये कि ऐसा सम्भव नही है। बात पर विश्वास नही किया। उपखण्ड अधिकारी ने कृष्ण के कहे अनुसार 25.01.2024 से 29.01.2024 तारीख पेशी नियत की और दिनाक 29.01.2024 से 31.02.2024 तारीख पेशी दी गयी और दिनाक 31.01.2024 से 09.02.2024 की तारीख पेशी नियत की गयी। जब दिनाक 31.01.2024 को मेरे द्वारा घर पहुचने के उपरान्त सायः को कृष्ण कुमार प्रतिवादी ने मुझे बताया की न्यायालय द्वारा राजस्व वाद में जारी स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया है। जबकि दिनाक 31.01.2024 को मेरे सामने कोई बहस नही हुयी है। पत्रावली वास्ते तलबी में नियत चली आ रही है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा प्रतिवादी कृष्ण कुमार के प्रभाव में आकर दिनाक 31.01.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त कर दिया और दिनाक 31.01.2024 को जब कृष्ण कुमार प्रतिवादी ने मुझे स्थगन आदेश खारिज होने की चेतावनी दी और में दिनाक 01.02.2024 को उपखण्ड अधिकारी तिजारा के

न्यायालय से नकल प्राप्त की तब पता चला की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 212 पूर्व में चल रहे को निरस्त कर दिया गया है। जबकि आदेश दिनाक 31.01.2024 तक स्थगन था। बल्कि आदेशिका तलबी में नियत चल रही थी। इस तरह के आदेशिका के उपरान्त आदेश जारी करना प्रार्थी के अधिकारो पर कुठाराधात है। प्रार्थी उक्त आदेशिका दिनाक 12.03.2024 को तारीख पेशी पर उपस्थित था, तथा कृष्ण कुमार भी उपस्थित था और उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दौराने सुनवाई के समक्ष ही प्रतिवादी कृष्ण कुमार से कहा कि इस मुकदमा में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश कर दो जबकि उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा ऐसा कहना प्रतिवादी को लाभ पहुचाना प्रतीत होता है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के कहने व प्रतिवादीगण को कहकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश कराया। जबकि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पूर्व में भी खारिज हो चुका है। लेकिन न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को कहकर प्रार्थना पत्र शामिल करवाना और प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में कहने पर प्रार्थना पत्र पेश कर शन्देह उत्पन्न होता है। अप्रार्थी/प्रतिवादी कही न कही किसी रूप में उपखण्ड अधिकारी तिजारा के सर्म्पक में है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही है। अप्रार्थी/प्रतिवादी कृष्ण कुमार द्वारा निरन्तर धमकीया दी जा रही है। दिनाक 31.05.2024 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र मन्जुर कराकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराकर इससे न्याय की पूर्णरूप से प्राथी को नुकसान संदेह है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रतिवादी कृष्ण कुमार से मिलकर प्रतिवादी को वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को लाभ पहुचाने की जुस्तजू में है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को सुनना विधि विरूद्व है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण औमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना में जो तथ्य अंकित किये गये है, वो तथ्यो परे है। समस्त तथ्य मनगढन्त कपोल कल्पित न्यायालय हाजा को गुमराह करने की नियत से दर्ज किये गये है, मिन अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के चैम्बर में गया ही नही और न ही मिन अप्रार्थी कृष्ण कुमार के साथ कोई बैठा था। मिन अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, और न ही यह कहा कि तेरा स्थगन खारिज करा दूगां। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी बार–बार प्रकरण में देरी करने की नियत से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदि रहा है, इससे पूर्व में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 15/79/2020 पेश किया गया था, जो निर्णय दिनाक 10.11.2020 से खारिज कर दिया गया। इसके उपरान्त पुनः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 15/95/2022 पेश किया गया था, जो निर्णय दिनाक 07.06.2022 को खारिज कर दिया। इसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में वाद को मुन्तकिल कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में मुन्तकिल कर दिया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने पर प्रार्थी का टी. आई प्रार्थना पत्र दौनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनकर दिनाक 31.01.2024 को निर्णय कर दिया। इस प्रकार से यह पूरी तरह से साबित है,

कि समस्त तथ्य प्रार्थी द्वारा मिथ्या तौर पर दर्ज किये गये है। मिन अप्रार्थी कृष्ण कुमार ने कभी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु नही कहा। जबकि मिन अप्रार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा कानूनी राय देकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत चूँकि प्राथी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही है, और न ही कभी रहा है। मिन अप्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 मंजूर कराने की कभी धमकी नही दी। प्रार्थना पत्र कोयली द्वारा पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय व न्याय प्रणाली पर दोषारोपण किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्व दाण्डिक कार्यवाही अमल में लायी जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ पर तहत अदालत से जवाब चॉहा गया। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 2180 दिनाक 30.07.2024 के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि उनवानी प्रकरण की पत्रावली के प्रार्थना पत्र 212 का निर्णय न्यायसंगत सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया है। जिसकी अपील न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहा होने पर पत्रावली न्यायालय को भिजवायी जा चूकि है। वाद न्यायालय में विचाराधीन है। यदि वाद को सुनवाई के लिए अन्य दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकील किया जाता है, तो न्यायालय को कोई [redacted] नही है।

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष वादी द्वारा एक राजस्व वाद बउनवान ओमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 अप्रार्थीयान के विरूद्व पेश किया गया है, प्रार्थी का मुख्य कथन है, कि दिनाक 31.01.2024 को घर पहुचने के उपरान्त सायः को कृष्ण कुमार प्रतिवादी ने मुझे बताया की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा उनवानी प्रकरण में जारी स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया है, जबकि दिनाक 31.01.2024 को मेरे सामने कोई बहस नही हुयी है। पत्रावली वास्ते तलबी में नियत चली आ रही है। लेकिन उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा प्रतिवादी कृष्ण कुमार के प्रभाव में आकर दिनाक 31.01.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त कर दिया। जबकि तहत अदालत से प्राप्त जवाब/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से जाहिर है, न्यायालय द्वारा दौनो पक्षो को सुना जाकर विधिवत कार्यवाही कर दिनाक 31.01.2024 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी वर्तमान में प्रार्थी/वादी के द्वारा न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहा अपील भी की चूकि है। तहत अदालत द्वारा उनवानी प्रकरण की पत्रावली न्यायालय को भिजवयी जा चूकि है। वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालयो में पेश किये गये है, जो खारिज किये जा चुके है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में वाद को मुन्तकिल कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को मुन्तकिल किया गया है, न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की गयी है, किन्तु प्रार्थी द्वारा पुनः

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को पेश कर दिया है। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से विधिवत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा की जा रही कार्यवाही पर भी आक्षेप अंकित किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)